भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2154

गुरूवार, 18 दिसम्बर, 2025/27 अग्रहायण, 1947 (शक)

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण

2154. श्री संजय सेठ:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) में माइग्रेशन मेट्रिक्स को शामिल करने का प्रस्ताव किस प्रकार रोज़गार नीति तैयार किए जाने को बेहतर बनाएगा;

(ख) श्रम प्रवासन पैटर्न संबंधी सही और समय पर आँकड़े एकत्र करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या उक्त आँकड़े क्षेत्र विशिष्ट कौशल विकास और रोज़गार सृजन कार्यक्रम तैयार करने में सहायक होंगे और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे मेट्रिक्स प्रवासी मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच को बेहतर बनाने में किस प्रकार सहायक होंगे; और

(ङ) क्या इस पहल के माध्यम से प्रवासी भारतीय कल्याण को समर्थन प्रदान करने के लिए अंतरराज्यीय समन्वय तंत्र को मज़बूत किया जा रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): वर्ष 2020-21 के दौरान प्रवासन संबंधी कुछ जानकारी एकबारगी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) में एकत्र की गई थी और इसे जून, 2022 में "भारत में प्रवासन, 2020-21" शीर्षक से एक रिपोर्ट द्वारा प्रकाशित किया गया है जो मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

इस प्रयास को जारी रखते हुए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने जुलाई 2026 से जून 2027 की अवधि के दौरान प्रवासन पर एक सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव दिया है। सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रवासन दर, प्रवासन के कारणों, अल्पकालिक प्रवासन और देश भर में परिवारों और व्यक्तियों की अन्य संबंधित विशेषताओं पर विश्वसनीय अनुमान तैयार करना है। इसके अलावा, सर्वेक्षण का उद्देश्य शहरी नियोजन, आवास, परिवहन, रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में अधिक चुनिंदा उपायों को सक्षम बना करके नीति निर्माताओं, योजनाकारों, शोधकर्ताओं और विकास संबंधी पेशेवरों को लाभान्वित करना है।

*****